<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :— 27 / 2018

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बाराँ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ (सायल)

बनाम

रामहेत पुत्र घांसीलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा थाना कोतवाली जिला बाराँ (गैरसायल)

<u>इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3</u>

उपस्थिति :— 1— अभियोजन अधिकारी (सायल)
2— श्री जितेन्द्र नागर अभिभाषक (गैरसायल)

<u>निर्णय दिनांक 12.10.2021</u>

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल रामहेत पुत्र घांसीलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सट्टा, मारपीट, हत्या का प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ में वर्ष 1998 से 2018 तक की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(02), भादस(04) एवं आर्म्स एक्ट(03) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें कुल 06 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(01), भादस(03) एवं आर्म्स एक्ट(02) गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है तथा कुल 03 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:40:53 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 06 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 03.12.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में गैरसायल का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ में वर्ष 1998 से 2018 तक की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(02), भादस(04) एवं आर्म्स एक्ट(03) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें कुल 06 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(01), भादस(03) एवं आर्म्स एक्ट(02) गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर दौराने बहस प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किया गया कि गैरसालय के विरूद्व वर्ष 1998 से 2018 तक के पुराने प्रकरण थाने मे दर्ज है, वर्तमान मे कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। गैरसायल अपने परिवार के साथ मेहनत मजदूरी कर परिवार का शांतिपूर्वक पालन पोषण कर रहा है। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ द्वारा गुण्डा एक्ट का इस्तगासा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत किया गया इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ में वर्ष 1998 से 2018 तक की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(02), भादस(04) एवं आर्म्स एक्ट(03) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें कुल 06 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(01), भादस(03) एवं आर्म्स एक्ट(02) के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:40:53 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि रामहेत पुत्र घांसीलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा जिला बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल कुल 06 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल रामहेत पुत्र घांसीलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली जिला बाराँ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल रामहेत पुत्र घांसीलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, सीमलिया जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 28.10.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **12.10.2021** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:40:53 IST
Reason: SelfAttested